



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 मार्च 2025

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
02 अप्रैल 2025	03 अप्रैल 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
09 अप्रैल 2025	11 अप्रैल 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
16 अप्रैल 2025	17 अप्रैल 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
23 अप्रैल 2025	24 अप्रैल 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
30 अप्रैल 2025	02 मई 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
07 मई 2025	08 मई 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
14 मई 2025	15 मई 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
21 मई 2025	22 मई 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
28 मई 2025	29 मई 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
04 जून 2025	05 जून 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
11 जून 2025	12 जून 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
18 जून 2025	19 जून 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
25 जून 2025	26 जून 2025	9,000	5,000	5,000	19,000
कुल		1,17,000	65,000	65,000	2,47,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [26 मार्च 2025 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4\(2\)-बी\(डब्ल्यू एंड एम\)/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2481

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक